

झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग।

आ. सं०- 05 / विविध-14-44 / 2014 :-

राँची, दिनांक -

आदेश

श्री रविशंकर, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) के कार्य हेतु विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
3. उक्त पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का आदेश प्राप्त है।

ह०/-

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, राँची / भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची / अभियंता प्रमुख- 1, एवं 2 जल संसाधन विभाग, राँची / सभी संयुक्त सचिव / संयुक्त सचिव, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / अपर निदेशक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरेखा परियोजना आदित्यपुर, जमशेदपुर / उप समाहर्ता, राजस्व प्रमण्डल, राँची / उप सचिव (प्र.) / उप सचिव, (अभि.) सभी अवर सचिव / सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग / सभी विशेष भू- अर्जन पदाधिकारी / सभी पुनर्वास पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं सभी सहायक, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि- श्री रविशंकर, संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -

946

राँची, दिनांक - 21-03-17

सूचनार्थ।

प्रतिलिपि- वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु



(रविशंकर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

21/3/17